भारतीय उपचर्या परिषद्
आठवाँ तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लॉट नं. 2, कम्यूनिटी सेन्टर, ओखला फेज - 1, नई दिल्ली - 110020

INDIAN NURSING COUNCIL
8th Floor, NBCC Centre, Plot No. 2, Community Centre
Okhla Phase - I, New Delhi - 110020

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय
Statutory Body under the Ministry of Health & Family Welfare

F.No. 1-6/2026-INC **Dated: 29th May, 2026**

NOTIFICATION NO. 9 OF 2026

Subject: Guidelines regarding conduct of inspections, communication with institutions, surprise inspections, and ethical conduct of inspectors.

It has come to the notice of the Council that certain institutions are refusing inspections after acceptance of applications, relying upon unauthorized communications, and reporting instances of inappropriate approaches by individuals claiming association with inspection teams. The Council's power to conduct inspections flows from the Indian Nursing Council Act, 1947 and any obstruction, refusal, or deliberate delay by an institution constitutes a violation of the statutory scheme. In this regard, the following is hereby notified for strict compliance by all concerned:

1. The Indian Nursing Council (INC) conducts inspections only in respect of applications which have been duly accepted by the Council.

2. Once an application is accepted, the Council shall schedule the inspection accordingly. Upon receipt of inspection dates communicated by the Council, the institution shall facilitate and cooperate with the inspection process. Refusal, postponement, or non-cooperation for the scheduled inspection without valid reasons shall be construed as non-availability/inadequacy of requisite facilities and infrastructure in the institution. The pendency of any complaint made by the institution against an inspector or inspection team shall not constitute a valid reason for refusal, postponement, or non-cooperation. The institution shall allow the inspection to proceed as scheduled, and any allegation of misconduct shall be dealt with separately under clause 6 below.

3. All official communications/letters regarding inspections shall be issued only through digitally signed communications from the designated Inspection e-mail ID (adh.insp.inc@gov.in) of the Council. Any communication, letter, notice, or document issued from any other source or without due authentication shall be treated as unauthorized/fake, and the institution shall immediately bring the matter to the notice of the Council.

4. In case of surprise inspections, the Council shall not issue any prior inspection letter or advance communication to the institution. However, the inspecting officials/inspectors shall possess authorized credentials/e-mail communication, which may be verified by the institution from the designated Ad-hoc Inspection e-mail ID or through confirmation from the Council regarding the conduct of such surprise inspection.

5. The Council shall not be responsible for any act of inspectors seeking money, hospitality, gifts, favours, or any other consideration from institutions. The Council provides travel expenses, including local transportation, accommodation, and inspection-related remuneration/honorarium to the inspectors as per approved norms.

6. All institutions are hereby directed to immediately report in writing to the Council at the Council's registered email address being adh.insp.inc@gov.in, any instance of demand for money, favours, hospitality, or any other undue benefit by any inspector/inspection team member, along with supporting details/documents, so that appropriate action may be initiated by the Council against the concerned person(s). The name and particulars of the reporting institution shall be kept confidential.

7. However if upon inquiry by the Council, any report made by an institution under clause 6 is found to be false, frivolous, or made with malicious intent solely to delay or obstruct the inspection, the Council shall treat such conduct as a separate violation of this notification and may initiate appropriate action against the institution, including but not limited to issuing a warning, or recommending discontinuation of suitability for a specified period for non-compliance with the requirements.

8. All nursing institutions are directed to adhere strictly to the above instructions and extend full cooperation during inspections conducted by the Council. Non-compliance with any of the above clauses shall be treated as a deliberate violation and may result in the Council recommending withdrawal of recognition and suitability for the offending institution as per the scheme of the Indian Nursing Council Act, 1947.

This issues with the approval of the competent authority.

Yours faithfully,

Col (Dr) Sarvjeet Kaur
Secretary

F.No. 1-6/2026-INC **दिनांक: 29 मई, 2026**

अधिसूचना संख्या 9/2026

विषय: संस्थानों का निरीक्षण करने, उनके साथ पत्र-व्यवहार करने, उनका औचक निरीक्षण करने और निरीक्षकों के नैतिक आचरण के संबंध में दिशानिर्देश।

परिषद के संज्ञान में यह बात आई है कि कुछ संस्थान आवेदन स्वीकार होने के बाद, अनधिकृत सूचनाओं पर भरोसा कर और निरीक्षण दलों के संपर्क में होने का दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा अनुचित तरीकों के इस्तेमाल की घटनाओं की खबरों का हवाला देते हुए, निरीक्षण कराने से इनकार कर रहे हैं। परिषद को संस्थाओं का निरीक्षण करने का अधिकार 'भारतीय उपचर्या परिषद अधिनियम, 1947' से मिलता है, और किसी भी संस्थान द्वारा इसमें कोई भी बाधा डालना, इनकार करना या जानबूझकर देरी करना वैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन माना जाएगा। इस संबंध में, संबंधित सभी पक्षों द्वारा कड़ाई से पालन किए जाने हेतु निम्नलिखित बिन्दु अधिसूचित किए जाते हैं:

1. भारतीय उपचर्या परिषद (INC) केवल परिषद द्वारा विधिवत प्राप्त / स्वीकृत आवेदनों के संबंध में ही निरीक्षण करती है।

2. एक बार आवेदन स्वीकार हो जाता है, तो परिषद तदनुसार निरीक्षंण का कार्यक्रम तय करेगी। परिषद से निरीक्षण की तिथियों की सूचना प्राप्त होने पर, संस्थान निरीक्षण प्रक्रिया में सहयोग करेगा और उसे सुगम बनाएगा। निर्धारित निरीक्षण के लिए बिना किसी वैध कारण के इनकार करना, उसे टालना, या उसमें सहयोग न करना, संस्थान में आवश्यक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की अनुपलब्धता/कमी माना जाएगा। किसी निरीक्षक या निरीक्षण दल के खिलाफ संस्थान द्वारा की गई किसी भी शिकायत का लंबित होना, निरीक्षण से इनकार करने, उसे टालने, या उसमें सहयोग न करने का वैध कारण नहीं माना जाएगा। संस्थान निरीक्षण को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ने देगा, और कदाचार के किसी भी आरोप से नीचे दिए गए खंड 6 के तहत अलग से निपटा जाएगा।

3. निरीक्षण के संबंध में सभी आधिकारिक संचार / पत्राचार केवल परिषद की निर्धारित निरीक्षण ई-मेल ID adh.insp.inc@gov.in से डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित संचार के माध्यम से ही जारी किए जाएंगे। किसी अन्य स्रोत से या उचित प्रमाणीकरण के बिना जारी किया गया कोई भी संचार, पत्र, नोटिस या दस्तावेज अनधिकृत / फर्जी माना जाएगा, और संस्थान तत्काल ऐसे मामले को परिषद के संज्ञान में लाएगा।

4. औचक निरीक्षणों (surprise inspections) के मामले में, परिषद संस्थान को कोई पूर्व-निरीक्षण पत्र या अग्रिम सूचना जारी नहीं करेगी। तथापि, निरीक्षण करने वाले अधिकारियों / निरीक्षकों के पास अधिकृत क्रेडेंशियल / ई-मेल संचार होगा, जिसे संस्थान निर्धारित Ad-hoc निरीक्षण ई-मेल ID से या ऐसे औचक निरीक्षण के आयोजन के संबंध में परिषद से पुष्टि प्राप्त करके सत्यापित कर सकता है।

5. संस्थानों से पैसे, आतिथ्य, उपहार, अनुग्रह, या किसी अन्य प्रकार का प्रतिफल मांगने वाले निरीक्षकों के किसी भी कृत्य के लिए परिषद जिम्मेदार नहीं होगी। परिषद अनुमोदित मानदंडों के अनुसार निरीक्षकों को यात्रा व्यय (जिसमें स्थानीय परिवहन और आवास शामिल है) तथा निरीक्षण-संबंधी पारिश्रमिक / मानदेय प्रदान करती है।

6. सभी संस्थानों को एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे किसी भी निरीक्षक / निरीक्षण दल के सदस्य द्वारा पैसे, अनुग्रह, आतिथ्य, या किसी अन्य अनुचित लाभ की मांग किए जाने की किसी भी घटना की सूचना, सहायक विवरणों / दस्तावेजों के साथ, तत्काल लिखित रूप में परिषद के पंजीकृत ई-मेल ID adh.insp.inc@gov.in पर दें; ताकि संबंधित व्यक्ति(यों) के खिलाफ परिषद द्वारा उचित कार्रवाई शुरू की जा सके। रिपोर्ट करने वाली संस्था का नाम और विवरण गोपनीय रखा जाएगा।

7. तथापि, यदि परिषद द्वारा की गई जाँच पर, खंड 6 के तहत किसी संस्था द्वारा की गई कोई रिपोर्ट / शिकायत झूठी, ओछी, या केवल निरीक्षण में देरी करने या उसमें बाधा डालने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से की गई पाई जाती है, तो परिषद ऐसे आचरण को इस अधिसूचना का एक अलग उल्लंघन मानेगी और संस्था के विरुद्ध उचित कार्रवाई शुरू कर सकती है; जिसमें चेतावनी जारी करना, या आवश्यकताओं का पालन न करने के लिए एक निर्दिष्ट अवधि हेतु उपयुक्तता को समाप्त करने की सिफारिश करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

8. सभी नर्सिंग संस्थाओं को निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करें और परिषद द्वारा किए जाने वाले निरीक्षणों के दौरान पूर्ण सहयोग करें। उपरोक्त खंडों में से किसी का भी पालन न करना जानबूझकर किया गया उल्लंघन माना जाएगा और इसके परिणामस्वरूप परिषद, भारतीय उपचर्या परिषद अधिनियम, 1947 की धाराओं के तहत, दोषी संस्था की मान्यता और उपयुक्तता को समाप्त करने की सिफारिश कर सकती है।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

सर्वजीत कौर

कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर

सचिव